भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan"
लिन्क रोड नं0-3/Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन- 2465054,2463102, 2465496,2466525
Rkkj /Telegram: CENTFOREST
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-MPB085/2005-BHO/1057 दि॰08-06-2006

प्रति,

प्रधान सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग,
वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय: अनूपपुर जिले के अन्तर्गत अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 210 मेगावाट यूनिट कमांक-5 के विस्तार ईकाई के उपसंगीय कार्य निर्माण के लिए 3.668 हे0 वनभूमि का प्रत्यावर्तन बाबत् ।

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6-MPB085/2005-BHO/1923 दिनांक 22-9-2005
2. मु0व0सं0(भू-प्रबंध),मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-4/14/2005/10-11/विद्युत/1067 दिनांक 26/05/06

महोदय,

कृपया मध्यप्रदेश शासन के उक्त विषयक पत्रांक एफ-4-14/21/2005/10-11/विद्युत/2075 दिनांक 12-08-2005 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए, इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा केन्द्र सरकार की ओर से अनूपपुर जिले के अन्तर्गत अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 210 मेगावाट यूनिट कमांक-5 के विस्तार ईकाई के उपसंगीय कार्य निर्माण के लिए 3.668 हे0 वनभूमि का वनेत्तर उपयोग के लिये वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है:-

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्च पर जिला-अनूपपुर, तहसील-अनूपपुर के ग्राम-चचाई आवाद के पटवारी हल्का केल्होरी नं0 46 के खसरा कमांक 230, 231, 232, 247/182, 248, 249 व 260 में 3.670 हे0 गैर वनभूमि पर इस आदेश के जारी होने के दो वर्ष के अन्दर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

ब) इस गैरवनभूमि को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया जायेगा ।

(स) इस गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत आरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी मूल अधिसूचना की एक प्रति उपयोगकर्ता अभिकरण को यह वनभूमि सौंपने के 6 माह के अन्दर नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी ।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर का पुनरीक्षण(Revision) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के विचाराधीन है । उपयोगकर्ता अभिकरण से इस आशय का एक वचनपत्र(Undertaking) लिया जाए कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर के उर्ध्वगामी/उर्ध्वमुखी (Upward) पुनरीक्षण की स्थिति में, उसे उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

4. परियोजना के अन्तर्गत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त समस्त निधि केम्पा (CAMPA) को हस्तांतरित की जायेगी । जब तक इस सम्बन्ध में उपयुक्त लेखाशीर्ष को संसूचित (Communicate) किया जाये तब तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 22/03/2004 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त निधियाँ संबंधित वनमण्डलाधिकारी या नोडल अधिकारी के नाम से किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में नियत जमा (Fixed Deposit) के रूप में रखी जायेगी । Net Present Value हेतु उपयोगकर्ता द्वारा जमा की गई धनराशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा ।

5. पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना, 1994 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक स्वीकृति लेने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

6. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

भवदीय,

(सुजाय बैनर्जी)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. निदेशक(एफ0सी0) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध) एवं नोडल अधि0, मध्यप्रदेश, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल । ।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल अनूपपुर, जिला-अनूपपुर, मध्यप्रदेश ।
4. अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता(सिविल), निर्माण संभाग, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल चचाई, जिला-अनूपपुर, मध्यप्रदेश ।
5. आदेश पत्रावली ।

(सुजाय बैनर्जी)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)